बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9473191199, 9431479774
महासचिव,
* सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम
संयुक्त सचिव:- * राजचन्द वार्डियार
* अनिल कुमार
कोषाध्यक्ष:- * चन्द्र शेखर सिंह
संयुक्त कोषाध्यक्ष:- * विनोद आनन्द

पत्रांक : 39 दिनांक 27-07-2012

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक–27.07.12 को प्रधान सचिव वित्त विभाग से बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष, महासचिव, श्री अनिल कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्य मंत्री सचिवालय, श्री मृणायक दास, विशेष कार्य पदाधिकारी, माननीय मंत्री विधि विभाग की हुई वार्ता का मुख्य बिन्दु निम्नवत् है:-

1. रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के अनुसार एक ही ग्रेड पें लगातार 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तथा पूरे सेवा काल में अधिकतम तीन वित्तीय उन्नयन स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है।

बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी को पे–बैण्ड–2 और ग्रेड पे 5400, चार वर्ष की सेवा एवं सम्पुष्टि के पश्चात् पे बैण्ड–3 और ग्रेड पे 5400 अनुमान्य किया गया है। वेतन तालिका के अनुसार इसमें कही भी वित्तीय उन्नयन नहीं हो रहा है परन्तु वित्त विभाग द्वारा इसे वित्तीय उन्नयन मानते हुए 14 वर्ष की सेवा पूरी होने पर 6600 एवं तदोपरांत 10 वर्ष पर 7600 अनुमान्य किया गया है यानि मात्र दो वित्तीय उन्नयन। इससे 43वीं बैंच से लेकर 48–52वीं बैच एवं हरेक नये बैंच के पदाधिकारी प्रभावित हो रहे है।

छठा वेतनमान लागू होने के उपरांत 40वी, 41वी एवं 42वीं बैचके को वर्ष 2006 में परिवर्तित वेतनमान को वित्तीय उन्नयन मानते हुए उसके बाद 10 वर्ष पर वित्तीय उन्नयन यानि इन बैचों की नियुक्ति वर्ष क्रमश: 1997, 1999 एवं 2000 के बाद क्रमश: 19, 17 एवं 16 वर्षो पर ग्रेड पे 6600 देय होने का परामर्श दिया गया है। छठा वेतनमान लागू होने पर परिवर्तित वेतनमान छठे वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित प्रतिस्थानी वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन है न कि कोई वित्तीय उन्नयन।

अत: संघ की मांग है कि उपरोक्त दोनों बिन्दुओं पर उत्पन्न भ्रम एवं त्रृटियों को दूर कर 10, 20 एवं 30 वर्ष की सेवा पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन दी जाय। अन्य विभाग द्वारा इसी प्रकार वित्तीय उन्नयन दिया जा रहा है। उदारणार्थ पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग, गृह आरक्षी विभाग, जल संसाधान विभाग की अधिसूचना संलग्न है।

2. अपुनरीक्षित वेतनमान के दो या दो से अधिक वेतन बिन्दु पर कार्यरत पदाधिकारियों का वेतन निर्धारण पुनरीक्षित वेतनमान में एक साथ गुच्छित हो जाने की स्थिति में नए वेतनमान में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया वित्त विभाग के ज्ञापांक–630 दिनांक–21.01.10 में निर्धारित है जिसका अनुपालन नहीं हो रहा है। जिसके

कारण 40, 41 एवं 42 की बैच के पदाधिकारियों के वेतनमान एक ही वेतन बिन्दु पर निर्धारित किया गया है।

इससे संबंधित संचिका माननीय मुख्यमंत्री एवं वित्त विभाग के बीच विमर्श में था जिसका निष्पादन कराने हेतु संघ द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री से भी अनुरोध किया गया है परन्तु समाधान अभी भी प्रतीक्ष्य है।

3. पुनरीक्षित वेतन के तहत एक ही बैच के मूल कोटि के पदाधिकारियों की सेवा सम्पुष्टि की तिथि भिन्न रहने की स्थिति में उनका वेतन निर्धारण अलग-अलग वेतन स्तर पर कर दिया जा रहा हैं जिसके कारण एक ही बैच के पदाधिकारियों की एक तिथि का वेतन में एकरूपता नहीं रह जाती है। इस प्रकार का कोई नियम नहीं है। इसे दूर करने का अनुरोध किया गया।

4. राज्य सरकार द्वारा दिनांक-01.04.10 के प्रभाव से राज्य के सरकारी सेवकों को भी केन्द्रीय कर्मियों की तरह पूरे देश की सीमा के अन्दर छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा अनुमान्य की गयी है जो एक सराहनीय कदम है परन्तु राज्य सरकार के सेवकों को उनकी यात्रा अनुमान्यता के अनुरूप यात्रा/रेल ए.सी. प्रथम श्रेणी द्वारा यात्रा की सुविधा तथा छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा उपभोग करते समय उपार्जित अवकाश के नगदीकरण की सुविधा नहीं दी जा सकी है।

संघ की मांग है कि केन्द्रीय कर्मियों की तरह राज्य के कर्मियों को भी उपरोक्त सुविधा प्रदान की जाय।

(सुशील कुमार)
महासचिव

(सुरेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष

ज्ञापांक- 39

दिनांक- 27/07/2012

प्रतिलिपि-सम्पादक, सभी दैनिक सामाचार पत्रों हिन्दी/अंग्रेजी को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(सुशील कुमार)
महासचिव

• विचारणीय बिन्दु :–

➢ **Bunching :-**

➔ 01.01.20006 को बिहार प्रशासनिक सेवा में मूल वेतनमान (**Basic grade**) के पदाधिकारी जिनकी सेवा अवधि 4 वर्ष से अधिक की थी एवं जिनकी सेवा सम्पुष्ट हो गई थी उनका सरकार के निर्णय के आलोक में पी0बी0–3 और 5400 ग्रेड वेतन पर वेतन निर्धारित हुआ। लेकिन इस क्रम में बि0 प्र0 से0 के 40वीं, 41वीं एवं 42वीं बैच के पदाधिकारियों का वेतन निर्धारण एक ही बैंड वेतन 15600 पर कर दिया गया जबकि पुराने वेतन मान में इनका स्तर

➢ 40वीं– 8100

➢ 41वीं–7700

➢ 42वीं–7500

➔ इस स्थिति से निपटने की व्यवस्था वेतन निर्धारण आदेश की 7A (ii) में निरूपित है, इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

➢ Table :-

Pay slip will Civil List Sl.

➢ **MACPS :-**

➔ वित्त विभाग द्वारा प्रीमियर सेवा को पी0बी02+5000 से चार वर्ष बाद पी0बी0–3+5400 को प्रथम वित्तीय उन्नयन परिभाषित कर दिया गया है, जबकि चार वर्ष बाद न तो कोई बैंड वेतन में उन्नयन मिलता है न ही ग्रेड वेतन में फिर इस वित्तीय उन्नयन कैसे कहा जा सकता है।

➔ चार वर्षों की सेवा के पश्चात् प्रीमियर सेवा के पदाधिकारी का बैंड वेतन 17440 हो जाता है तो फिर पी0बी0–3 में कोई वेतनलाभ तो बैंड वेतन के रूप में मिलता नहीं है और ग्रेड पे भी 5400 ही रह जाता है तो इसे वेतन उन्नयन किस प्रकार परिभाषित किया जा रहा है।

➢ **Pay slips :-**

➔ इस गलत परिभाषा के कारण पुरे सवा काल में प्रीमियरसेवा को दो ही वेतन उन्नयन ग्रेड पे0–6600 एवं ग्रेड पे–7600 ही अनुमान्य हो रहा है।

➢ **PAY PARITY :-**

➔ 01.01.2006 के बाद की तिथि से सेवा सम्पुष्ट होने की स्थिति में एक बैच में अलग–अलग पदाधिकारियों का वेतन निर्धारण अलग–अलग स्तर पर किया जा रहा है।

➔ इससे न केवल एक बैच के पदाधिकारियों में वेतन की एक रूपता नहीं रह पा रही है वरण् वरीय बैच के पदाधिकारी का वेतन कनीय बैच के पदधिकारी से नीचे के स्तर पर निर्धारित हो जा रहा है।

- Pay Slips

➔ सचिवालय भत्ता

➔ विशेष कार्य पदाधिकारी के पदनाम से सचिवालय में कार्यरत पदाधिकारियों को सचिवालय भत्ता स्वीकृत नहीं किया जा रहा है।

- **LTC**

➔ अनुमान्यता के अनुसार यात्रा करने की सुविधा नहीं दी जा रही है।

Andaman / J&K / North East वायुयात्रा की सुविधा

तथा छुट्टी वेतन भुगतान की सुविधा।